

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 337/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 13.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना तरवा: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण –

दिनांक-12.09.2025 को वादिनी मुकदमा थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ ने थाना तरवाँ पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी की पोती समय 8 बजे बाजार जा रही थी कि रास्ते में आयुष उर्फ राज पुत्र योगेन्द्र राम निवासी ग्राम कोषड़ा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ जो अपने ननिहाल में आया था जो कि वादिनी की पोती के साथ छेड़खानी करने लगा, शोर गुल की आवाज सुनकर गाँव के दो लड़के पहुँचे तब तक वह देख कर भाग गया, जिनके तहरीर पर मु0अ0सं0 240/25 धारा- 74 बीएनएस व 7/8 पास्को एक्ट बनाम आयुष उर्फ राज पुत्र योगेन्द्र राम निवासी ग्राम कोषड़ा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 कान्ता पाल द्वारा सम्पादित की जा रही है, अभियुक्त आयुष उर्फ राज उपरोक्त को लगातार गिरफ्तारी हेतु दबिश जी रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक-13.09.2025 को उ0नि0 कान्ता पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आयुष उर्फ राज पुत्र योगेन्द्र राम निवासी ग्राम कोषड़ा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को समय करीब -12.45 बजे कबूतरा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 240/25 धारा- 74 बीएनएस व 7/8 पास्को एक्ट थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0—0069/2025 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-आयुष उर्फ राज पुत्र योगेन्द्र राम निवासी ग्राम कोषड़ा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. उ0नि0 कान्ता पाल थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़
2. का0 महेश यादव थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़



02.थाना गम्भीरपुर: ग्रामीण महिलाओं के साथ ठगी व चोरी करने वाली 03 शातिर अंतर्जनपदीय अभियुक्ता ठगी व चोरी किये गये जेवरात के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.09.2025 को वादिनी श्रीमती रेखा कन्नौजिया पत्नी वीरेन्द्र कन्नौजिया उम्र 45 वर्ष ग्राम सरायपल्लू थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर तहरीर दी कि 03 अज्ञात महिलाओं द्वारा घर आकर पूजा पाठ कराने की बात करते छल व ठगी पूर्वक आवेदिका का गले का मंगल सुत्र, गले का लाकेट, एक जंजीर तथा कान के एक जोड़ी झुमका तथा वादिनी के पति का जंजीर तीनों अज्ञात महिलाओं द्वारा लेकर चली गयी है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-272/25 धारा- 318(4) बीएनएस बनाम 03 महिला नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी द्वारा सम्पादित करते हुए अज्ञात महिलाओं के गिरफ्तारी के बावत पतारसी सुरागरसी की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण -

आज दिनांक 13.09.2025 को उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्ता 1.शकिना पत्नी राजू उर्फ नेता निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकतजनपद जौनपुर उम्र करीब 35 वर्ष 2.मेहनाज पत्नी स्व. गुड्डू निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत जनपदजौनपुर उम्र करीब 40 वर्ष 3.गरीबुन पत्नी आशिक निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत जनपद जौनपुर को 01अदद चेन पीली धातु 01 जोड़ी तीन पत्ती झुमका पीली धातु 1 अदद लॉकेट पीली धातु व 1 अदद मंगलसूत्र पीली धातु व तीन हजार रुपये नकद के साथ समय 09.50 बजे रोहुआ शराब ठीके से 300 मीटर दूर सरायपल्लू की ओर जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता -

- 1.शकिना पत्नी राजू उर्फ नेता निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकतजनपद जौनपुर उम्र करीब 35 वर्ष
- 2.मेहनाज पत्नी स्व. गुड्डू निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत जनपदजौनपुर उम्र करीब 40 वर्ष
- 3.गरीबुन पत्नी आशिक निवासी ग्राम ब्राह्मणपुर झमका, थाना केराकत जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग -

- 1- मु0अ0सं0 272/2025 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	42/25	303(2),317(2) BNS	मछली शहर	जौनपुर
2.	4/25	316(2)बीएनएस	फूलपुर गंगानगर	प्रयागराज
3.	272/25	318(4)/317(2) बीएनएस	गम्भीरपुर	आजमगढ़
4.	211/25	303(2)/317(2) बीएनएस	रानी की सराय	आजमगढ़

बरामदगी का विवरण—

- 1-01 अदद चेन पीली धातु 01 जोड़ी, तीन पत्ती झुमका पीली धातु, 1 अदद लॉकेट पीली धातु व 1 अदद मंगलसूत्र पीली धातु व तीन हजार रुपये नकद

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अजीत पटेल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- 3.का.विश्वामित्र थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- 4.का. रमेश यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- 5.म.का.सुषमा सरोज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़



03.थाना- कोतवाली: 10 हजार रूपयें का इनामिया अपराधी गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असलहा व

कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास –

1. प्रार्थी बाबूलाल पुत्र रामजीत निवासी ग्राम हरैया थाना कोतवाली का मूल निवासी हूँ तथा एक ई-रिक्षा चालक हूँ दिनांक 09.05.2025 को समय 11.00 बजे के करीब मैं अपना ई-रिक्षा जिसका रजि0 नं0 UP50CT5408 लाल रंग गेट 07 के पास खड़ा करके आवश्यक कार्य हेतु न्यायालय के अन्दर गया था लौटन पर देखा किसी आज्ञात चोर द्वारा मेरा ई रिक्षा चोरिकर लिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 228/25 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया।
2. प्रार्थिनी सुमन श्रीवास्तव W/O पंकज अस्थाना निवासी गोयल कटरा सिविल लाइन थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ की निवासी हूँ दिनांक 16.04.25 मेरा ड्राइवर मेरे इरिक्षा जिसका चेचिस नं0 MC0RULERC25995071 को अमर होटल के पास 12 बजे दिन में खड़ा करके खाना खाने घर चला गया घर से खाना खाकर ड्राइवर आया तो मेरा ईरिक्षा वह नहीं था जिसकी सुचना वह मुझे दिया तो मैं अपने वाहन इरिक्षा को आज तक शहर आजमगढ़ मे व अन्य स्थानों पर काफी खोजबिन करती रही परन्तु मेरा ईरिक्षा नहीं मिला उसे किसी ने चोरी कर लिया है उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-257/25 धारा-303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
3. प्रार्थिनी कीलम यादव W/0बृजलाल यादव ग्रा0 रामपुर ,पो0 जमालपुर थाना सिधारी की मूल निवासी है जिनकी बाइन गाडी स0 UP50 AQ3830 गेट के अंदर महिला हास्पिटल से गायब हो गई है। जो की तारीख 3/09/2025 को समय 7.30 8.30 को गायब हुई उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0 अ0 स0 443/25 धारा 303(2)बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह, उ0नि0 यश सिंह पटेल, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मोटर साइकिल व ई-रिक्षा चोर 1. अखिलेश यादव उर्फ समीर यादव उर्फ पिन्टू पुत्र लालधर यादव निवासी ग्राम बिसौली थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को दिनांक 13.09.2025 को समय 01.30 बजे बाग लखराव पुलिया से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। जिनके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल, 01 अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- अखिलेश यादव उर्फ समीर यादव उर्फ पिन्टू पुत्र लालधर यादव निवासी ग्राम बिसौली थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. मोटर साइकिल
2. 01 अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 457/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0- 228/25 धारा 303(2) BNS थाना कोतवाली आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-257/25 धारा-303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0 अ0 स0 443/25 धारा 303(2)बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 457/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 254/21 धारा 323/325/504 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 106/23 धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015), 376, 506 भा दं सं 1860, 5j(ii), 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , 2012
7. मु0अ0सं0 127/2025 धारा 238(c), 303(2), 317(2) बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

- 1-प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह, उ0नि0 यश सिंह पटेल, कां0 विनय प्रसाद ,कां0 सद्दाम हुसैन अंसारी, कां0 हीरालाल, कां0 अभय कुमार सिंह , कां0 काशी कुमार कोतवाली आजमगढ़



04.थाना बिलरियागंज: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिये कि दिनांक 08/9/2025 को रात्रि में 10.30 बजे वादी की पोती उम्र करीब 14 वर्ष बाहर टहल रही थी कि उसी समय मो0 चाँद पुत्र इम्तेयाज व आतिफ पुत्र सोहराव के द्वारा हमारी पोती को पोखरी (बगल में) बाऊली ले जाकर मो0 चाँद पुत्र इम्तेयाज के द्वारा दुष्कर्म किया गया, प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 293/2025 धारा 65(1),351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 13.09.2025 को उ0नि0 अवधेश उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित मो0 चाँद उर्फ मो0 शाहिद पुत्र मो0 इम्तेयाज निवासी शेखूपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को मधनापार तिराहे से समय करीब 11.20 बजे मधनापार तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 293/2025 धारा 65(1),351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. मो0 चाँद उर्फ मो0 शाहिद पुत्र मो0 इम्तेयाज निवासी शेखूपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़

2-उ0नि0 अवधेश उपाध्याय मय हमराह थाना बिलरियागंज आजमगढ़



05. थाना रौनापार: क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर हुए साइबर फ्राड के 98,600/- रुपये आवेदक खातों में वापस कराया गया।

घटना का विवरण-

आवेदक विशाल गुप्ता पुत्र राजू प्रसाद गुप्ता निवासी रौनापार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 09.09.25 को क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने का झासा देकर 98,600/- रुपये का साइबर फ्राड हुआ था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 09.09.25 को थाना रौनापार साइबर हेल्प डेस्क से सम्पर्क किया गया जिस पर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा उक्त साइबर फ्राड की शिकायत नं0 3310925XXXXXXX दर्ज कराया गया।

बरामदगी का विवरण:-

आवेदक विशाल गुप्ता पुत्र राजू प्रसाद गुप्ता थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के साथ हुए साइबर फ्राड के सम्बन्ध में थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 3310925XXXXXXX दर्ज कराया गया। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त आवेदक को पैसा Ratnakar Bank Limited उसके बाद Razorpay उसके बाद MMTC - PAMP INDIA PRIVATE LIMITED बैंक में ट्रांसफर हुआ। उक्त खाते की जानकारी किया गया तो पाया गया कि उक्त सभी खाते मर्चेन्ट खाते हैं। फ्राडस्टर के खाता धारक से सम्पर्क कर वार्ता किया गया जिस पर उक्त खाता धारक द्वारा आवेदक का पैसा आवेदक के खाते में दिनांक 12.09.25 को वापस कर दिया गया।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. साइबर हेल्प डेस्क टीम थाना रौनापार आजमगढ़



06.थाना- बरदह: चोरी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 28.11.24 को वादी मुकदमा दीपक कुमार गुप्ता अवर अभियन्ता 33/11 के.वी. उपकेन्द्र ठेकमा /बरदह द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 28.11.2024 को मध्य रात्रि में ग्राम अस्वनिया में ज्ञान प्रकाश सिंह के तालाब से उत्तर दिशा की ओर अस्वनिया नहर तक कुल 11 पोल का विद्युत तार (लगभग) 1.7 KM अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कटर मशीन से काटकर चोरी कर लिया गया जिसमें विभाग को वित्तीय क्षति हुई है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 373/24 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 11.05.25 को थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ की पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. प्रत्यांशु सिंह उर्फ भोला सिंह पुत्र रणविजय सिंह निवासी बेला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. आनन्द उर्फ मुलायम पुत्र अनिल राम निवासी करसड़ा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था जिनसे पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण चोरी करना स्वीकार किये थे तथा इनके साथी संजय गौड़ पुत्र सुबेदार निवासी फिरोजपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ की संलिप्तता भी बताये। उक्त के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 12.09.25 को उ0नि0 अम्बुज कुमार राही मय हमराह अभियुक्त संजय गौड़ पुत्र सुबेदार सा0 फिरोजपुर थाना तरवां आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु दविस दिया तो अभियुक्त ग्राम फिरोजपुर मे अपने दुकान कबाड की दुकान पर मौजूद मिला जिसे कारण गिरफ्तारी मुकदमा उपरोक्त के वांछित होने का कारण बताकर समय करीब 18.30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-संजय गौड़ पुत्र सुबेदार सा0 फिरोजपुर थाना तरवां आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 373/24 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 अम्बुज कुमार राही थाना बरदह, आजमगढ़
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल थाना बरदह, आजमगढ़
3. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 सुनील सरोज थाना बरदह, आजमगढ़



07.थाना- सिधारी: अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 12.09.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह द्वारा नरौली से दक्षिण जाने वाले रास्ते पर पुलिया के पास बहद ग्राम नरौली से अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र छेदी चौहान सा0 सतमिसरा थाना चंदवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 45 वर्ष को मुखबिर के सूचना पर समय 14.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त के पास 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेश चौहान पुत्र छेदी चौहान सा0 सतमिसरा थाना चंदवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0- 64/2009 धारा 406/411/420 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
- 2.मु0अ0सं0-79/2009 धारा 307 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
- 3.मु0अ0सं0- 80/2009 धारा 30/25 आर्म्स एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
- 4.मु0अ0सं0- 200/2009 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
- 5.मु0अ0सं0- 315/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
- 6.मु0अ0सं0- 318/2021 धारा 328/379/420/511 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
- 7.मु0अ0सं0- 310/2015 धारा 3(25),5/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी
8. मु0अ0सं0- 429/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 429/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़
2. हे0कां0 मनोज यादव थाना सिधारी आजमगढ़



08. थाना मुबारकपुर: आबकारी अधि० से सम्बन्धित मालों का किया गया विनष्टीकरण

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के द्वारा मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मुबारकपुर में विभिन्न तिथियों में आबकारी अधि० के अन्तर्गत जब्त शराब कुल 7 मुकदमों में बरामद लगभग 2150.40 लीटर को मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ से आदेश प्राप्त कर नायब तहसीलदार सदर वीरेंद्र सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशि मौलि पाण्डेय की उपस्थिति में आज दिनांक- 13.09.2025 को गड्ढा खोदवाकर विनष्ट कराया गया।

